

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 18/12/2018 15:33 hrs

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 409 |
| 3 | IPC 1860 | 420 |
| 4 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- 1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/12/2018 Time (समय): 14:50 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 18/12/2018 15:04 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 65 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): सैय्याखेडा, गन्नौर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): GANNAUR

District (State) (जिला (राज्य)): SONIPAT (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): CHANDERVEER SINGH
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 12/12/1960 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------------|--------------------------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1 | Present Address | HN 746/1., INDERA COLONY ROHTAK, HN 746/1., INDERA COLONY ROHTAK, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | HN 746/1., INDERA COLONY ROHTAK, HN 746/1., INDERA COLONY ROHTAK, ROHTAK CITY, ROHTAK, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9729065234

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | अतर सिंह सरपंच | | | 1. ग्राम पंचायत सैय्याखेडा, गन्नौर, GANNAUR, SONIPAT, HARYANA, INDIA |
| 2 | आशु ठेकेदार | | Father's Name: रामधारी | 1. बी0एस0टी कालोनी गन्नौर, GANNAUR, SONIPAT, HARYANA, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|------------------|--------------------------------|
| | |

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमानजी, तहरीर निम्न प्रकार से है कि जांच क्रमांक 4 दिनांक 12.04.2018/सोनीपत, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के याद क्रमांक 61/13/2018/चौ0-II दिनांक 11.04.2018 की अनुपालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृ0क्रमांक5260/आई-6/एस0वी0बी0(एच) दिनांक 16.04.2018 अनुसार श्री सुनिल पुत्र शेखरचन्द जाति धानक निवासी गांव सैय्याखेडा तहसील गन्नौर जिला सोनीपत की शिकायत पर दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि वर्ष 2010 से 2015 तक श्री अतर सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत सैय्याखेडा ने अपनी समय अवधि के दौरान आशु ठेकेदार पुत्र श्री रामधारी वासी अहीर माजरा हाल बी0एस0टी कालोनी, गन्नौर के साथ अपराधिक षडयन्त्र रचकर पंचायत फंड से 2,03,114 रु0 का गबन किया है जांच के दौरान पाया गया कि सर्व प्रथम पूर्व सरपंच अतर सिंह ने दिनांक 11.05.2012 को दो ट्यूबल कनैक्शन के लिए बिजली बोर्ड गन्नौर से 2 कनैक्शनो की रसीद कटवाई उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की, फिर दिनांक 27.11.2014 को 200/- रुपये और फीस भरकर रसीद नवीकरण करवाई। परन्तु उसके बाद भी फाईलो में अतर सिंह, सरपंच ने बिजली बोर्ड, गन्नौर से कोई कार्यवाही नहीं करवाई। जांच के दौरान प्राप्त कथनों अनुसार माह जुलाई 2012 से बिजली के 3 कनैक्शन अवैध तरीका से करवाकर 2 मोटर 10/10 एचपी व एक मोटर साढ़े बारह एच.पी.की चलाकर बिजली चोरी करना पाया गया है। वर्ष 2012 में अतर सिंह सरपंच ने आशु ठेकेदार निवासी बी0एस0टी0 कालोनी गन्नौर के साथ मिलकर बिजली के तीन कनैक्शन खेत दुंडरा वाला, खेडा वाला व खेत दुंगे वाला गांव सैय्याखेडी में बिजली की लाईन बिछाकर ट्रान्सफार्मर रखवाकर अवैध तरीके से बिजली कनैक्शन करवाकर बिजली चोरी की है, दिनांक 23.06.2012 को 2,93,114/-रुपये ओरियन्ट बैंक गन्नौर के खाता से बैंक द्वारा आशु ठेकेदार को अदा किये गये व दिनांक 05.06.2013 को अतर सिंह पूर्व सरपंच ने बिजली की लाईन डलवाने के खर्च के लिए एच0डी0एफ0सी0 बैंक गन्नौर खाता से 1,47,373/- रुपये आशु ठेकेदार को बैंक द्वारा अदा किये, जबकि एक कनैक्शन का खर्चा आशु ठेकेदार ने लगभग एक लाख रुपये बतलाया है। जुलाई 2012 से मई 2017 तक बिजली विभाग में कोई बिल नहीं भरा गया। बिजली कनैक्शन के लिए पहले उपभोगता ने जमीन किला नं0 की फर्द देनी होती है। उसके बाद फार्म ए व ए (एप्लीकेशन व एग्रीमेन्ट) फिर 100 रुपये प्रति किलोवाट सैक्युरिटी फीस उसके बाद डिमाण्ड नोटिस भेजा जाता है। जिसके बाद बिजली विभाग लाईन का एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट का डेड प्रतिशत इन्सपैक्शन फीस जमा करवानी पडती है, फिर बी0ए0-16 तैयार किया जाता है। उसके बाद लाईन का काम शुरू होता है। उस समय SES (Self Excutive Scheme) स्कीम लागू थी जो स्वयं सामान लाना पडता है। उसके बाद जे0ई0 साईट बैंक करेगा तब कनैक्शन चालू होता है। लेकिन अतर सिंह पूर्व सरपंच ने ऐसा कुछ नहीं किया। खेती के लिये 10 पैसे प्रति यूनिट या 15 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह बिल देना पडता है। मोटर लगे ही नहीं थीं। अब मौका पर रिकार्ड के अनुसार 10/10 एच0पी0 के दो कनैक्शन का व साढ़े बारह एचपी का एक कनैक्शन दिनांक 29.11.2017 को दो कनैक्शन व दिनांक 30.11.2017 से एक कनैक्शन लेना पाया गया है। जांच के दौरान प्राप्त कथनों अनुसार तीन कनैक्शनो से दो मोटर 10/10 एचपी की व एक मोटर साढ़े बारह एचपी की जुलाई 2012 से मई 2017 तक बिना कनैक्शन चलाकर बिजली चोरी करनी पाई गई है जिससे बिजली विभाग बिजली चोरी करने से काफी नुकसान होना पाया गया। तीनों ट्यूबवैलों का मौका का निरीक्षण किया गया जो पुराने पोल अब भी लगे हैं, जिनके फोटो तैयार किये गये हैं। वर्ष 2012 से लगातार जमीन पट्टे पर दी गई है दिनांक 26.05.2017 तक बिजली विभाग के रिकार्ड में ग्राम पंचायत सैय्याखेडा के नाम कोई कनैक्शन लेना नहीं पाया गया। इस प्रकार अतर सिंह, तत्कालीन सरपंच ने आशु ठेकेदार से मिलिभगत करके 4,40,887 रु0 की सार्वजनिक पूंजी का गबन किया है। जो जांच कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 10029/रा0चौ0ब्यु0(ह0) दिनांक 13.07.18 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग, चण्डीगढ को भेजी गई थी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदेश क्रमांक 61/13/2018-2 चौकसी-(II) दिनांक 28.11.2018 व कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृ0क्रमांक 16899/आई-5/एस0वी0बी0(एच) दिनांक 29.11.2018 अतर सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सैय्याखेडा व आशु ठेकेदार बी0एस0टी0 कालोनी के खिलाफ धारा 409,420,120-बी0 भा0द0सं0 व 13(1) सी0 पी0सी0एक्ट, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध जूर्म उपरोक्त में मुकदमा दर्ज रजि0 किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। SD- निरीक्षक चन्द्रवीर सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक, अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर एक पत्र क्रमांक 17619/I-5/SVB(H) Panchkula दिनांक 14.12.18 कार्यालय महानिदेशक रा0चौ0ब्युरो पंचकूला व इस कार्यालय के डायरी नं0 2449 दिनांक 17/12/2018 के अनुसार थाना मे प्राप्त होने पर मु0 न0 15 दिनांक 17.12.2018 धारा 409,420,120-बी0 भा0द0सं0 व 13(1) सी0 पी0सी0एक्ट, 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को मेल द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मय अंतिम रिपोर्ट व मूल शिकायत फाईल, कथन फाईल, पुलिस फाईल व प्रलेख फाईल SP साहब द्वारा नियुक्त I/O निरीक्षक चन्द्रवीर सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक, के हवाले किया गया व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, गन्नौर को देने के लिये सि0 अशोक न0 1467/पानीपत के हवाले करके रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से P/निरीक्षक संजय कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): CHANDERVEER SINGH Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): R164 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kirt Pal Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): ips

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|------------------|------------|---|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1968 | | | | Is Proxitted: Yes |
| 2 | Male | 1973 | | | | Is Proxitted: Yes |

| Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s)(आदतें) | Dress Habit (s) (पहनावा) |
|---|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language/Dialect (भाषा/बोली) | Place of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

